पत्र संख्या : 7वि०शा०/स्था०व्य०–15–07/2021 ज०स०...327

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉची/हजारीबाग/अग्रिम योजना,/यॉ० संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉची, दिनांक : 11/03/22

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत 18 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रू 54.279 लाख (चौवन लाख सत्ताईस हजार नौ सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट मुख्य शीर्ष **2701– मध्यम सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701–मध्यम सिंचाई	03– मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन/ 07–मध्यम सिंचाई परियोजना	**54.279**

कुल आवंटित राशि – रुपये चौवन लाख सत्ताईस हजार नौ सौ मात्र

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021–22 के संशोधित बजट उपबंध रू 10886.06 लाख (एक सौ आठ करोड़ छियासी लाख छः हजार मात्र) के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि॰) दि॰15.07.2003,1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
6. कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड सरकार के द्वारा समय– समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक–29/बी०टी०ई०–18/2014.–15/300 दिनांक–30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा ।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरूद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यपर्ण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यपर्ण प्रतिवेदन हार्ड कापी में Access No एवं Revoke No का भी आवश्यक रुप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्त नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (***http://www.wrdjharkhand.nic.in)*** *पर भी उपलब्ध है।*

अनु॰ :– यथोक्त

10/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 327 रॉची, दिनांक :– 11/03/22

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ –**हिनू,रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, रॉची/डोरंडा/ देवघर/सिमडेगा/ हजारीबाग/जामताड़ा/मधुपुर/गुमला/ सिमडेगा/दुमका सहित राज्य के **सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

10/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 327 रॉची, दिनांक :– 11/03/22

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, ज ल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–2,रॉची को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा–7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि॰)	(श्याम किशोर प्रसाद सिंह) संयुक्त सचिव	10/03/22 (प्रशांत कुमार) सचिव

परिशिष्ट I

मुख्य शीर्ष–2701–मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक
लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–07–मध्यम सिंचाई परियोजना
मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

पत्रांक 327 दिनांक 11/3/22 का अनुलग्नक

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष 2021–2022		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
0	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
1	मुख्य अभि0, अग्रिम योजना, रॉंची	पूर्व का आवंटन	34.000	0.000	0.000	0.500	1.300	0.000	1.000	0.210	0.000	0.000	1.400	0.000	38.410	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.012	0.000	0.000	0.000	0.000	0.112	
		कुल आवंटन	34.000	0.000	0.000	0.500	1.400	0.000	1.000	0.222	0.000	0.000	1.400	0.000	38.522	
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, देवघर	पूर्व का आवंटन	150.000	0.000	0.000	0.700	1.800	0.000	1.050	0.300	0.250	0.000	1.900	0.000	156.000	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	
		कुल आवंटन	150.000	0.000	0.000	0.700	1.800	0.000	1.050	0.400	0.250	0.000	1.900	0.000	156.100	
3	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, रॉंची	पूर्व का आवंटन	158.000	0.000	0.500	1.100	1.100	0.000	0.400	0.300	0.025	0.000	1.300	0.100	162.825	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	
		कुल आवंटन	158.000	0.000	0.500	1.100	1.200	0.000	0.400	0.300	0.025	0.000	1.300	0.100	162.925	
4	मुख्य अभि0 यांत्रिक, रॉंची	पूर्व का आवंटन	43.000	0.000	0.100	0.200	1.100	0.000	0.400	0.300	0.000	0.000	1.600	0.000	46.700	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012	
		कुल आवंटन	43.000	0.000	0.100	0.200	1.100	0.000	0.400	0.312	0.000	0.000	1.600	0.000	46.712	
5	जलपथ अंचल, गुमला	पूर्व का आवंटन	85.000	0.000	0.000	1.000	0.900	0.000	0.100	0.200	0.200	0.000	0.800	0.100	88.300	
		अतिरिक्त आवंटन	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	2.100	
		कुल आवंटन	87.000	0.000	0.000	1.000	0.900	0.000	0.100	0.300	0.200	0.000	0.800	0.100	90.400	
6	रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, रॉंची	पूर्व का आवंटन	210.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.100	0.250	0.000	0.400	0.000	211.250	
		अतिरिक्त आवंटन	2.270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	2.370	
		कुल आवंटन	212.270	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.400	0.000	213.620	
7	सिंचाई यांत्रिक अंचल ,रॉंची	पूर्व का आवंटन	26.500	0.000	0.000	0.200	0.800	0.000	0.250	0.100	0.050	0.000	0.400	0.000	28.300	
		अतिरिक्त आवंटन	1.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	1.900	
		कुल आवंटन	28.300	0.000	0.000	0.200	0.800	0.000	0.250	0.200	0.050	0.000	0.400	0.000	30.200	
8	जलपथ प्रमंडल सं. –2,चैनपुर गुमला	पूर्व का आवंटन	128.000	0.000	0.000	0.400	0.700	0.000	0.150	0.050	0.150	0.000	0.000	0.200	129.650	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	
		कुल आवंटन	128.000	0.000	0.000	0.900	0.700	0.000	0.150	0.150	0.150	0.000	0.000	0.200	130.250	
9	जलपथ प्रमंडल सं.–1, सिमडेगा	पूर्व का आवंटन	238.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.650	0.000	0.300	2.000	241.400	
		अतिरिक्त आवंटन	25.000	0.000	0.000	0.670	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.065	25.735	
		कुल आवंटन	263.000	0.000	0.000	0.870	0.250	0.000	0.000	0.000	0.650	0.000	0.300	2.065	267.135	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

10/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

क0सं0	वित्तीय वर्ष 2021–2022		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
10	पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, पुनासी देवघर	पूर्व का आवंटन	245.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.000	0.050	0.425	0.000	0.000	0.200	246.575	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.200	
		कुल आवंटन	245.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.000	0.050	0.425	0.000	0.000	0.400	246.775	
11	विशेष भू–अर्जन पदा0 तेनुघाट परियोजना, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	132.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.800	0.000	133.350	
		अतिरिक्त आवंटन	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000	
		कुल आवंटन	140.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.800	0.000	141.350	
12	विशेष भू–अर्जन पदा0 मध्यम सिंचाई परियोजना, दुमका	पूर्व का आवंटन	158.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.300	0.000	158.900	
		अतिरिक्त आवंटन	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000	
		कुल आवंटन	166.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.300	0.000	166.900	
13	सिंचाई प्रमंडल, जसीडीह	पूर्व का आवंटन	231.000	0.000	0.000	1.050	0.700	0.030	0.000	0.050	0.225	0.000	0.700	0.100	233.855	
		अतिरिक्त आवंटन	2.730	0.000	0.000	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.760	
		कुल आवंटन	233.730	0.000	0.000	1.080	0.700	0.030	0.000	0.050	0.225	0.000	0.700	0.100	236.615	
14	सिंचाई प्रमंड़ल, दुमका	पूर्व का आवंटन	254.000	0.000	0.000	1.000	0.800	0.000	0.000	0.120	0.350	0.000	0.000	0.500	256.770	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.320	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.420	
		कुल आवंटन	254.000	0.000	0.000	1.320	0.800	0.000	0.000	0.220	0.350	0.000	0.000	0.500	257.190	
15	सिंचाई प्रमंड़ल, देवघर	पूर्व का आवंटन	314.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.000	0.100	0.550	0.000	0.700	0.050	316.300	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.020	0.120	
		कुल आवंटन	314.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.000	0.200	0.550	0.000	0.700	0.070	316.420	
16	सिंचाई प्रमंड़ल, बड़हरवा	पूर्व का आवंटन	115.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000	115.575	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.550	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.950	
		कुल आवंटन	115.000	0.000	0.000	0.750	0.450	0.000	0.000	0.000	0.125	0.000	0.000	0.200	116.525	
17	सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया	पूर्व का आवंटन	225.000	0.000	0.000	0.300	1.050	0.000	0.250	0.000	0.350	0.000	0.000	0.700	227.650	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.300	
		कुल आवंटन	225.000	0.000	0.000	0.450	1.050	0.000	0.250	0.000	0.350	0.000	0.000	0.850	227.950	
18	सिंचाई यांत्रिक प्रमंड़ल, देवघर	पूर्व का आवंटन	220.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.300	0.000	0.300	0.000	221.100	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.200	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.100	0.500	
		कुल आवंटन	220.000	0.000	0.000	0.200	0.350	0.200	0.000	0.150	0.300	0.000	0.300	0.100	221.600	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		49.800	0.000	0.000	2.220	0.500	0.200	0.000	0.824	0.000	0.000	0.000	0.735	54.279	

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये चौवन लाख सत्ताईस हजार नौ सौ मात्र

327
11/03/22

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

10/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव